रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2013/अग्रहायण 28, 1935
No. 328] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2013/AGRAHAYANA 28, 1935

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

सं. मानव संसाधन प्रभाग/1(1)2011/कैडर की पुनर्संरचना/पार्ट- I- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19वां अधिनियम) की धारा-5 (डी) की उप-धारा-7 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, भारत सरकार के अनुमोदन से, एतदद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) के पद पर भर्ती की प्रकिया के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा ;

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :**

   (i) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) भर्ती नियम, 2013 कहलाएंगे ।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन एवं वेतनमान :**

   पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में उल्लिखित हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता एवं अन्य अर्हता आदि :**
   भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता एवं अन्य संबंधित मामले संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में उल्लिखित हैं।

4. **अयोग्यता :**

   ऐसे व्यक्ति, –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह संबंध रखा है, जिसका पति/पत्नी जीवित है; अथवा

   (ख) ऐसे व्यक्ति जो पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह संबंध रखते हैं, उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे।

बशर्ते कि न्यासी बोर्ड, संतुष्ट हो कि विवाह वैयक्तिक कानून के दायरें में किया गया है एवं ऐसा करने की उचित वजह है। ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान की शक्ति :**
जहाँ न्यासी बोर्ड की राय में यह आवश्यक हो अथवा वह ऐसा करना उचित समझे, तो वह आदेश के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करते हुए तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ परामर्श करके किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित इन नियमों के किसी उपबंध में छूट प्रदान कर सकता है ।

6. **शर्तें:**

इन नियमों से, केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायत पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

कॉलम सं.	विवरण	निबंधन एवं शर्तें
1.	पदनाम	अपर केन्द्रीय भ.नि.आयुक्त (मुख्यालय)
2.	पदों की संख्या	02*(2013) *कार्यभार को देखते हुए परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	ग्रुप ''ए'' गैर – अनुसचिवीय
4.	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान	37400–67000 रू. के वेतन बैंड-4 में 10,000 रू. के ग्रेड वेतन सहित
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन	चयन
6.	सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत अधिकारियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	<u>पदोन्नतिः-</u> अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त– I के मूल पद पर 37400-67000 रू. के वेतन बैंड – 4 में ग्रेड वेतन 8900 रू. सहित 4 (चार) वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी । जिसके न होने पर, क.भ.नि.सं. में अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त–I के मूल पद पर 37400-67000 रू. के वेतन बैंड – 4 में ग्रेड वेतन 8900 रू. सहित 24 वर्ष की नियमित सेवा वाले ग्रुप – ए के अधिकारी । जिसके न होने पर, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त– II के मूल पद पर 37400-67000 रू. के वेतन बैंड–4 में ग्रेड वेतन 8700/- रू. सहित 08 वर्ष की नियमित सेवा वाले क.भ.नि.सं. में ग्रुप–ए में 24 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी ।

		प्रारंभिक मूलभूत शर्तं :- इन नियमों में ढील देते हुए 31.03.2018 तक के पैनल वर्ष के लिए ग्रेड वेतन 8700/- रू. वाले वर्तमान अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त– II (पूर्व में अपर के.भ.नि.आ.) तथा ग्रेड वेतन 8700/- रू. के एन.एफ.एस.जी. वाले क्षे.भ.नि.आ. (ग्रेड – I) इस पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे। **नोट 1:-** पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा । जिस अधिकारी ने अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) के पद पर पदोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया है, वह प्रशिक्षण के पूरा होने तक किसी वेतनवृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे । अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर, अधिकारी उसी तारीख से वेतनवृद्धि पाने के हकदार होंगे, जिस तारीख से वह उसके लिए पात्र हुए थे । पदोन्नति होने पर जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के लिए एक वर्ष से कम समय शेष है, उन्हें उक्त प्रशिक्षण से छूट प्राप्त होगी । **नोट 2:-** ऐसे मामलों में, जहाँ अर्हक/पात्र सेवा पूर्ण कर लेने पर कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्र सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्र सेवा अवधि के आधे से अधिक कम अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो। **नोट 3:-** पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य के लिए, अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले की गयी नियमित सेवा अथवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान के लागू होने की तिथि जिसके द्वारा सिफारिशें लागू की गई हैं, को समान वेतन में अथवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। साथ ही, अधिकारी द्वारा 01 जून 2011 से पहले 8700 रू. ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा की गणना भी पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी ।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो, उसके सदस्यों का विवरण ।	**विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु)** (क) सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय – **अध्यक्ष** (ख) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त – **सदस्य** (ग) अपर सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय – **सदस्य**
13.	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से नियुक्ति हेतु परामर्श किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

के.के. जालान, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन III/4/असाधारण/187-ई/13]

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2013

No. HRD/1(1)2011/Cadre Re-structuring/Pt.I .— In exercise of the powers conferred by Sub-Section – 7(a) of Section 5 (D) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (Act 19 of 1952), the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund with the approval of the Govt. of India, hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Additional Central Provident Fund Commissioner (Hqrs.) in the Employees' Provident Fund Organisation, namely;

1. Short Title and Commencement:

(i) These Rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Additional Central Provident Fund Commissioner (Hqrs.) Recruitment Rules, 2013.

(ii) They shall come into force on the date of their Publication in the official gazette.

2. Number of Posts, Classification, Pay Band, Grade Pay and Pay Scale:

The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said schedule.

3. Method of Recruitment, Age Limit and Other Qualifications Etc.:

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification:

No Person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Board of Trustees may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power To Relax:

Where the Board of Trustees is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Ministry of Labour & Employment, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings:

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Additional Central Provident Fund Commissioner (Hqrs.) in Employees' Provident Fund Organisation

Column No.	Particulars	Terms & Conditions
1.	Name of the Post	**Additional Central Provident Fund Commissioner (Hqrs.)**
2.	Number of Posts	02* (2013) *Subject to variation dependent on work load.
3.	Classification	Group 'A' Non-Ministerial
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	₹37400-67000 in PB-4 with Grade Pay of ₹10,000
5.	Whether Selection Post or Non-Selection post	Selection
6.	Age Limit for Direct Recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not Applicable
9.	Period of Probation, if any,	Not Applicable

10.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Promotion.
11.	In Case of recruitment by Promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	**Promotion:-** Officers holding the substantive post of Additional Central Provident Fund Commissioner - I in PB-4 in the pay band of `37400-67000 with Grade Pay of `8900 with 04 (four) years of regular service; Failing which Officers holding the substantive post of Additional Central Provident Fund Commissioner - I in PB-4 in the pay band of `37400-67000 with Grade Pay of `8900 with 24 years of regular service in Group 'A' in EPFO; Failing which Officers with 08 years of regular service in the substantive post of Additional Central Provident Fund Commissioner – II in PB-4 in the Pay Band of `37400-67000 with Grade Pay of `8700 with 24 years of regular service in Group 'A' in EPFO; **Initial Constitution Clause:** The existing Additional Central Provident Fund Commissioner – II (erstwhile Addl. CPFC) in the Grade Pay of `8700/- and RPFC (Grade – I) with NFSG of Grade pay `8700/- shall be eligible for promotion to the post for the panel year upto 31.03.2018 in relaxation of these rules. **Note 1:** Successful completion of training, as prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation within a period of two years from the date of promotion, shall be mandatory. An officer, who has not successfully completed mandatory training for promotion to the post of Additional Central Provident Fund Commissioner (Hqrs.), shall not be eligible for any increment until completion of training. The officer shall be entitled to draw his increment from the date on which he was otherwise eligible for the same, on completion of mandatory training. Officers with less than one year of service remaining before retirement on promotion, stand exempted from the said training. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended, based on the recommendations of the pay commission. Further service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st June 2011 in the grade pay of Rs.8700 shall also be counted as minimum qualifying service for promotion.
12.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion):** a) Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour & Employment – Chairman b) Central Provident Fund Commissioner - Member

		c) Addl. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour & Employment - **Member**
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

K. K. JALAN, Central P.F. Commissioner and Secy.,
Central Board of Trustees,
Employees Provident Fund

[ADVT. III/4/Exty./187-E/13]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

सं. मानव संसाधन प्रभाग/1(1)2011/कैडर की पुनर्संरचना/पार्ट- I.- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19वां अधिनियम) की धारा-5 (डी) की उप-धारा-7 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, भारत सरकार के अनुमोदन से, एतदद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I के पद पर भर्ती की प्रकिया के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा ;

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :**

(i) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त -I भर्ती नियम, 2013 कहलाएंगे ।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन एवं वेतनमान :**

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में उल्लिखित हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता एवं अन्य अर्हता आदि :**

भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता एवं अन्य संबंधित मामले संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में उल्लिखित हैं।

4. **अयोग्यता :**

ऐसे व्यक्ति –

(ग) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह संबंध रखा है, जिसका पति/पत्नी जीवित है अथवा

(घ) ऐसे व्यक्ति जो पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह संबंध रखते हैं, उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे।

बशर्ते कि न्यासी बोर्ड, संतुष्ट हो कि विवाह वैयक्तिक कानून के दायरे में किया गया है एवं ऐसा करने की उचित वजह है। ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान की शक्ति :**

जहाँ न्यासी बोर्ड की राय में यह आवश्यक हो अथवा वह ऐसा करना उचित समझे, तो वह आदेश के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करते हुए तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ परामर्श करके किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित इन नियमों के किसी उपबंध में छूट प्रदान कर सकता है ।

6. **शर्तें:**

इन नियमों से, केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायत पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

कॉलम सं.	विवरण	निबंधन एवं शर्तें
1.	पदनाम	अपर केन्द्रीय भ.नि.आयुक्त - I
2.	पदों की संख्या	10*(2013) *कार्यभार को देखते हुए परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	ग्रुप ''ए'' गैर – अनुसचिवीय
4.	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान	37400 – 67000 रू. के वेतन बैंड-4 में 8900 रू. के ग्रेड वेतन सहित
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन	चयन
6.	सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत अधिकारियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति**, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	**पदोन्नति:-** अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त–II के मूल पद पर 37400-67000 रू. के वेतन बैंड – 4 में ग्रेड वेतन 8700 रू. सहित 05 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी । जिसके न होने पर, क.भ.नि.सं. में अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त–II के मूल पद पर 37400-67000 रू. के वेतन बैंड – 4 में ग्रेड वेतन 8700 रू. सहित 20 वर्ष की नियमित सेवा वाले ग्रुप–ए के अधिकारी । **पहली आधारभूत शर्त :-** इन नियमों में ढील देते हुए रू 8700/- के ग्रेड वेतन में वर्तमान अपर केन्द्रीय भ.नि.आयुक्त –II (पहले के अपर के.भ.नि.आ.) तथा रू 8700/- के ग्रेड वेतन के एन एफ एस जी ग्रेड के साथ क्षे.भ.नि.आ. (ग्रेड– I) तथा क्षे.भ.नि.आ. (ग्रेड- I, ग्रेड वेतन 7600) में दिनांक 31.03.2018 तक पैनल वर्ष के लिए इस पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे। **नोट 1:-** पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा । जिस अधिकारी ने अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I के पद पर पदोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया है, वह प्रशिक्षण के पूरा होने तक किसी वेतनवृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे । अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर, अधिकारी उसी तारीख से वेतनवृद्धि पाने के हकदार होंगे, जिस तारीख से वह उसके लिए पात्र हुए थे । पदोन्नति होने पर जिन अधिकारियों की सेवानिवृति के लिए एक वर्ष से कम समय शेष है, उन्हें उक्त प्रशिक्षण से छूट प्राप्त होगी । **नोट 2:-** ऐसे मामलों में, जहाँ अर्हक/पात्र सेवा पूर्ण कर लेने पर कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ

		अधिकारियों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्र सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्र सेवा अवधि के आधे से अधिक कम अथवा दो वर्ष , जो भी कम हो, से कम न हो। **नोट 3:-** पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य के लिए, अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले की गयी नियमित सेवा अथवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान के लागू होने की तिथि जिसके द्वारा सिफारिशें लागू की गई हैं, को समान वेतन में अथवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। साथ ही, अधिकारी द्वारा 01 जून 2011 से पहले 7600 रू. ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा की गणना भी पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी ।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो, उसके सदस्यों का विवरण ।	**विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु)** (क) सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय – अध्यक्ष (ख) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त – सदस्य (ग) सचिव (श्रम एवं रोजगार) द्वारा नामित अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय – सदस्य
13.	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से नियुक्ति हेतु परामर्श किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

के.के. जालान, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि
[विज्ञापन III/4/असाधारण/187-ई/13]

NOTIFICATION

New Delhi the 18th December, 2013

No. HRD/1(1)2011/Cadre Re-structuring/Pt.I .— In exercise of the powers conferred by Sub-section – 7(a) of Section 5 (D) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (Act 19 of 1952), the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund with the approval of the Govt. of India, hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Additional Central Provident Fund Commissioner - I in the Employees' Provident Fund Organisation, namely;

1. **Short Title and Commencement:**

(i). These Rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Additional Central Provident Fund Commissioner – I Recruitment Rules, 2013.

(ii). They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification, Pay Band, Grade Pay and Pay Scale:**

The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said schedule.

3. **Method of Recruitment, Age Limit and Other Qualifications Etc.:**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.

4. **DISQUALIFICATION:**

No Person -

(a). who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b). who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Board of Trustees may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax:

Where the Board of Trustees is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Ministry of Labour & Employment, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings:

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Additional Central Provident Fund Commissioner-I in Employees' Provident Fund Organisation

Column No.	Particulars	Terms & Conditions
1.	Name of the Post	**Additional Central Provident Fund Commissioner – I**
2.	Number of Posts	10* (2013) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	Group 'A' Non-Ministerial
4.	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	₹ 37400-67000 in PB-4 with Grade Pay of ₹ 8,900
5.	Whether Selection Post or Non-Selection post	Selection
6.	Age Limit for Direct Recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not Applicable
9.	Period of Probation, if any,	Not Applicable
10.	**Method of Recruitment :** Whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Promotion.
11.	In Case of recruitment by Promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	**Promotion:-** Officers holding the substantive post of Additional Central Provident Fund Commissioner–II in PB-4 in the pay band of ₹ 37400-67000 with Grade Pay of ₹ 8700 with 05 (five) years of regular service; Failing which officers holding the substantive post of Additional Central Provident Fund Commissioner–II in PB-4 in the pay band of ₹ 37400-67000 with Grade pay of ₹ 8700 with 20 years of regular service in Group "A" in EPFO. **Initial Constitution Clause:** The existing Additional Central Provident Fund Commissioner – II (erstwhile Addl. CPFC) in the Grade Pay of ₹ 8700, RPFC (Grade – I) with NFSG of Grade pay ₹ 8700 and RPFC (Grade-I) in the Grade Pay of ₹ 7600 shall be

		eligible for promotion to the post for the panel year upto 31.03.2018 in relaxation of these rules. **Note 1:** Successful completion of training, as prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation within a period of two years from the date of promotion, shall be mandatory. An officer, who has not successfully completed mandatory training for promotion to the post of Additional Central Provident Fund Commissioner-I, shall not be eligible for any increment until completion of training. The officer shall be entitled to draw his increment from the date on which he was otherwise eligible for the same, on completion of mandatory training. Officers with less than one year of service remaining before retirement on promotion, stand exempted from the said training. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended, based on the recommendations of the pay commission. Further service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st June 2011 in the grade pay of ₹ 7600 shall also be counted as minimum qualifying service for promotion.
12.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion):** a) Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour & Employment – Chairman b) Central Provident Fund Commissioner - Member c) Addl. Secretary /Joint Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour & Employment to be nominated by Secretary (L&E) - Member
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

K. K. JALAN, Central P.F. Commissioner and Secy.,
Central Board of Trustees,
Employees Provident Fund

[ADVT. III/4/Exty./187-E/13]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

सं. मानव संसाधन प्रभाग/1(1)2011/कैडर की पुनर्संरचना/पार्ट- I- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19वां अधिनियम) की धारा-5 (डी) की उप-धारा-7 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, भारत सरकार के अनुमोदन से, तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (अपर केन्द्रीय भविष्य निधि

आयुक्त) भर्ती नियम, 1999 का अधिक्रमण करते हुए, एतदद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त –II के पद पर भर्ती की प्रकिया के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा ;

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :**

(i) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त–II भर्ती नियम 2013 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन एवं वेतनमान :**

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में उल्लिखित हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता एवं अन्य अर्हता आदि** :

भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता एवं अन्य संबंधित मामले संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में उल्लिखित हैं।

4. **अयोग्यता :**

ऐसे व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह संबंध रखा है, जिसका पति/पत्नी जीवित है अथवा

(ख) ऐसे व्यक्ति जो पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह संबंध रखते हैं, उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे।

बशर्ते कि न्यासी बोर्ड, संतुष्ट हो कि विवाह वैयक्तिक कानून के दायरें में किया गया है एवं ऐसा करने की उचित वजह है। ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान की शक्ति :**

जहाँ न्यासी बोर्ड की राय में यह आवश्यक हो अथवा वह ऐसा करना उचित समझे, तो वह आदेश के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करते हुए तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ परामर्श करके किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित इन नियमों के किसी उपबंध में छूट प्रदान कर सकता है ।

6. **शर्तेः**

इन नियमों से, केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायत पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

कॉलम सं.	**विवरण**	**निबंधन एवं शर्तें**
1.	पदनाम	अपर केन्द्रीय भ.नि.आयुक्त –II
2.	पदों की संख्या	15*(2013) *कार्यभार को देखते हुए परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	ग्रुप ''ए'' गैर – अनुसचिवीय
4.	वेतनमान	37400 – 67000 रू. के वेतन बैंड -4 में 8700 रू. के ग्रेड वेतन सहित
5.	क्या चयन पद है अथवा अचयन	चयन-सह-वरिष्ठता
6.	सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत अधिकारियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा

11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	**पदोन्नति:-** क्षेत्रीय भ.नि.आयुक्त ग्रेड– I,15600–39100 रू. के वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन 7600 रू. सहित, 5 (पाँच) वर्ष की नियमित सेवा । जिसके न होने पर, क.भ.नि.सं. में क्षे.भ.नि.आ.- I के मूल पद पर 15600 – 39100 रू. के वेतन बैंड-3 में, ग्रेड वेतन 7600 रू. सहित 15 वर्ष की नियमित सेवा वाले ग्रुप – ए के अधिकारी । **नोट 1:-** पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा । जिस अधिकारी ने अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त-।। के पद पर पदोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया है, वह प्रशिक्षण के पूरा होने तक किसी वेतनवृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे । अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर, अधिकारी उसी तारीख से वेतनवृद्धि पाने के हकदार होंगे, जिस तारीख से वह उसके लिए पात्र हुए थे । पदोन्नति होने पर जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के लिए एक वर्ष से कम समय शेष है, उन्हें उक्त प्रशिक्षण से छूट प्राप्त होगी । **नोट 2:-** ऐसे मामलों में, जहाँ अर्हक/पात्र सेवा पूर्ण कर लेने पर कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्र सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्र सेवा अवधि के आधे से अधिक कम अथवा दो वर्ष , जो भी कम हो, से कम न हो। **नोट 3:-** पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य के लिए, अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले की गयी नियमित सेवा अथवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान के लागू होने की तिथि जिसके द्वारा सिफारिशें लागू की गई हैं, को समान वेतन में अथवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। साथ ही, अधिकारी द्वारा 01 जून 2011 से पहले 6600 रू. ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा की गणना भी पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी ।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो, उसके सदस्यों का विवरण ।	**विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु)** (क) सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय – अध्यक्ष (ख) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त – सदस्य (ग) सचिव (श्रम एवं रोजगार) द्वारा नामित अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय – सदस्य
13.	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से नियुक्ति हेतु परामर्श किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

के.के. जालान, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन III/4/असाधारण/187-ई/13]

NOTIFICATION

New Delhi the 18th December, 2013

No. HRD/1(1)2011/Cadre Re-structuring/Pt.I .— In exercise of the powers conferred by Sub-section – 7(a) of Section 5 (D) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (Act 19 of 1952), the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund with the approval of the Govt. of India, and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation (Additional Central Provident Fund Commissioner) Recruitment Rules, 1999, the Employees' Provident Fund Organisation, hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Additional Central Provident Fund Commissioner - II in the Employees' Provident Fund Organisation, namely;

1. **Short Title And Commencement:**

(i). These Rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Additional Central Provident Fund Commissioner – II Recruitment Rules, 2013.

(ii). They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. **Number Of Posts, Classification, Pay Band, Grade Pay And Pay Scale:**

The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said schedule.

3. **Method Of Recruitment, Age Limit And Other Qualifications Etc.**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualification:**

No Person -

(a). who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b). who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Board of Trustees may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax:**

Where the Board of Trustees is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Ministry of Labour & Employment, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings:**

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Additional Central Provident Fund Commissioner-II in Employees' Provident Fund Organisation

Column No.	Particulars	Terms & Conditions
1.	Name of the Post	Additional Central Provident Fund Commissioner – II
2.	No. of Posts	15* (2013) *Subject to variation dependent on work load.
3.	Classification	Group 'A' Non-Ministerial
4.	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale	₹ 37400-67000 in PB-4 with Grade Pay of ₹ 8,700
5.	Whether Selection Post or Non-Selection	Selection-cum-seniority
6.	Age Limit for Direct Recruit	Not Applicable

7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not Applicable
9.	Period of Probation, if any,	Not Applicable
10.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation / absorption & percentage of posts to be filled by various methods	By Promotion.
11.	In Case of recruitment by Promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	**Promotion:-** Regional Provident Fund Commissioner, Grade-I with 5 years regular service in PB-3 in the pay band of ₹15600-39100 and grade pay of ₹7600/-; Failing which officers holding the post of RPFC – I in PB-3 in the pay band of ₹15600-39100 and grade pay of ₹7600 on substantive basis with 15 years of regular service in Group "A" of EPFO. **Note 1:** Successful completion of training, as prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation within a period of two years from the date of promotion, shall be mandatory. An officer, who has not successfully completed mandatory training for promotion to the post of Additional Central Provident Fund Commissioner-II, shall not be eligible for any increment until completion of training. The officer shall be entitled to draw his increment from the date on which he was otherwise eligible for the same, on completion of mandatory training. Officers with less than one year of service remaining before retirement on promotion, stand exempted from the said training. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended, based on the recommendations of the pay commission. Further service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st June 2011 in the grade pay of `6600/- shall also be counted as minimum qualifying service for promotion.
12.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion):** a) Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour & Employment – Chairman b) Central Provident Fund Commissioner - Member

		c) Addl. Secretary/Joint Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour & Employment to be nominated by Secretary (L&E) - Member
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

K. K. JALAN, Central P.F. Commissioner and Secy.,
Central Board of Trustees,
Employees Provident Fund

[ADVT. III/4/Exty./187-E/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.